पत्रांक :–12 / चक0 ज0शि0–31 / 2013–......960...... / चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबन्दी निदेशालय)

प्रेषक,

निदेशक, चकबन्दी,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी,
सभी उप निदेशक, चकबंदी
सहायक निदेशक, चकबंदी,
सभी चकबंदी पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–20 / 10 / 2014

विषय :– *चकबंदी की प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा–26 'क' की अनाधिसूचना के बावजूद पुराने सर्वे के* **अनुसार भौतिक स्थिति रहने से उत्पन्न वैधानिक स्थिति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभिन्न स्त्रोतों से ज्ञात हुआ है कि चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 'क' के अन्तर्गत अनाधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् भी चक रैयत अपने पुराने सर्वे प्लॉट पर ही काबिज हैं अर्थात् नये आवंटि.. चक पर नहीं गये हैं। साथ ही सर्वे प्लॉट के आधार पर ही भूमि की खरीद बिक्री की जा रही है एवं रैयतो का नये चक पर जाने की अभिरूचि नहीं है।

उपरोक्त उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग द्वारा चकबन्दी अधिनियम की धारा–26 'क' की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त स्पष्ट किया गया है कि नक्शा, खतियान, तैयार होने एवं दखल प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त धारा–26 'क' के अन्तर्गत अनाधिसूचना निर्गत की जाती है। ऐसी स्थिति में उक्त गाँव में चकबन्दी की सारी प्रक्रियाएँ समाप्त हो जाती है और चकबन्दी से संबंधित अधिकारियों की Review/ Reopen एवं Cancel करने के शक्तियाँ समाप्त हो जाती है।

विधि विभाग द्वारा अभिमत दिया गया है कि एक बार किसी मौजा में चकबन्दी की प्रक्रिया समाप्त हो गयी है तो आवंटियों को अपने चक पर जाने की बाध्यता है। किसी पदाधिकारी को Review/ Reopen एवं Cancel करने की शक्ति नहीं है। प्रक्रिया में किसी प्रकार की गलती के लिए पुनरीक्षण प्राधिकार के समक्ष धारा–35 के अन्तर्गत कार्रवाई हो सकती है।

उपरोक्त वैधानिक मंतव्य से स्पष्ट है कि धारा–26 'क' के अन्तर्गत अनाधिसूचना निर्गत होने के उपरान्त पुराने सर्वे के आधार पर किए गये सभी प्रकार के अन्तरण नियम संगत नहीं है। साथ ही आवंटियों को आवंटित चक पर जाने की बाध्यता है।

उक्त के आलोक में निदेशित है कि चकबन्दी प्रक्रिया अन्तर्गत 26 'क' से अनाधिसूचित मौजों में चक खतियान के आलोक में भू–निबंधन, भू–अन्तरण सहित सभी कार्रवाई की जाय तथा चक आवंटियों को अपने आवंटित चक पर जाने के लिए प्रेरित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/– 15/10
निदेशक, चकबन्दी,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक––......960...... / चक0, पटना, दिनांक– 20.10.2014

प्रतिलिपि–सरकार के उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4160 ज0 / रा0, *दिनांक–05.12.2013 के प्रसंग में / श्री ब्रह्मेश्वर दसौंधी (भूतपूर्व संयुक्त सचिव), न्यू कॉलोनी, पकड़ी आरा* जिला–भोजपुर (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/– 15/10
निदेशक, चकबन्दी,
बिहार, पटना।